न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 55/2017

1 भोलाराम पुत्र गोपाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 12 टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज. । दौराने अपील मृतक
1/2 राजेन्द्र प्रसाद माहिच पुत्र स्व. भोलाराम
1/3 रामसिंह माहिच पुत्र स्व. भोलाराम
1/4 सुमन देवी पुत्री स्व. भोलाराम
जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 12 टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज. ।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
3 ईदू खां पुत्र रमजान खां जाति मनियार निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 मो. अयुब पुत्र ईदू खां जाति मनियार निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 223 आर. टी. एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
दावा उनवानी भोलाराम बनाम तहसीलदार वगै.
दावा संख्या 77/2012 बाबत घोषणा, रिकार्ड
दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा निर्णय व डिक्री
दिनांक 01.05.2017

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री इकरार अली, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजवीर बुडानिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 4/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 77/2012 में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय के यहां आराजी खसरा नम्बर 727 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 764 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1103/746 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1377/746 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर सरहद मौजा टोडी, तहसील उदयपुरवाटी के बाबत दावा किया और अनुतोष घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का चाहा। अपीलान्ट के उक्त दावा को विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 01.05.2017 को निर्णित कर खारिज किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 727, 764, 1103/746 सरहद मौजा टोडी के संबंध में रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई विवाद नहीं रहा है। विवाद जमीन हाल खसरा नम्बर 1377/746 में से रकबा 0.10 हैक्टेयर का रहा है। जमीन गत खसरा नम्बर 630 सरहद मौजा टोडी स्थित रही है। उक्त भूमि में से एक बीघा 10 बिश्वा भूमि अपीलान्ट को अलॉट हुई। अलॉटमेंट आदेश का अंकन जरिये नामान्तकरण संख्या 224 व 227 के राजस्व रिकार्ड में हुआ। प्रदर्श 17 से 19 से उक्त तथ्यों की ताईद होती है। विचारण न्यायालय ने जमीन हाल खसरा नम्बर 1377/746 के गत खसरा नम्बर 630/3 होना नहीं मानकर वादी अपीलान्ट के दावे को खारिज करने में कानूनी गलती की है। वादी अपीलान्ट का यह कथन रहा कि जमीन हाल

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा नम्बर 1377/746 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर भूमि उसे आवंटित भूमि का भाग है और यह कथन रहा कि उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 630 में से 1 बीघा 10 बिश्वा भूमि आवंटित की गई जो मैट्रि प्रणाली के मुताबिक 0.38 हैक्टेयर बनती है और यह कथन किया गया कि वर्तमान में अपीलान्ट के खाते में 0.28 हैक्टेयर दर्ज है जो कि 0.38 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिये और उक्त अनुसार अपीलान्ट की ओर से अभीवचन के समर्थन में उनकी पुष्टि में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य दी गई। अपीलान्ट की उक्त प्लींडिग का खण्डन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफ से नहीं किया गया। विवाद मुख्य रूप से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य रहा। विचारण न्यायालय ने व्याख्या कर गलत आधार दर्ज कर मनमर्जी से तनकी संख्या 1 को अपीलान्ट के विरूद्ध तय कर कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की प्लींडिग का आधार लेकर तनकी संख्या 1 को निर्णित करने में कानूनी गलती की है। विवाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के मध्य आवंटनशुदा भूमि का रहा है। अपीलान्ट को जमीन गत खसरा नम्बर 630 सरहद मौजा टोडी में से 1 बीघा 10 बिश्वा भूमि आवंटित होना व 1 बीघा 10 बिश्वा भूमि का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार नाप 0.38 हैक्टेयर भूमि होना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफ से स्वीकृत तथ्य है। ऐसी सुरत में आवंटित क्षेत्रफल की खातेदारी देने का दायित्व विचारण न्यायालय का था। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की हैसियत उनकी प्लींडिग के मुताबिक अतिक्रमी से ज्यादा की नहीं है और विचारण न्यायालय ने एक अतिक्रमी की प्लींडिग को आधार मानकर एक वास्तविक खातेदार को खातेदारी से वंचित कर कानूनी गलती की है। अपीलान्ट ने टिनेन्सी के स्त्रोत को साबित किया है। जमीन हाल खसरा नम्बर 1377/746 गत खसरा नम्बर 630 का भाग होना एक स्वीकृत तथ्य है। गत खसरा नम्बर 630 में से 1 बीघा 10 बिश्वा भूमि अपीलान्ट को आवंटित होना भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफ से स्वीकृत तथ्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब दावे में यह स्वीकार किया है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1377/746 रकबा 0.10 हैक्टेयर पर अपीलान्ट का कब्जा है। ऐसी सुरत में विचारण न्यायालय ने जमीन खसरा नम्बर 630/3 का हवाला देकर उक्त तनकी को अपीलान्ट के विरूद्ध पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट हाल खसरा नम्बर 1377/746 के कुल रकबे को क्लेम नहीं कर रहा है बल्कि कुल रकबे में से 0.10

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हैक्टेयर क्षेत्रफल को क्लेम कर रहा है। उक्त क्षेत्रफल की भूमि पर अपीलान्ट काबिज है और उक्त क्षेत्रफल का भू–भाग आवंटित भूमि का भाग है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की प्लींडिग को सही माना जाने की सूरत में उनकी हैसियत एक अतिक्रमी से ज्यादा की नहीं रही ऐसी सुरत में अपीलांट की प्लींडिग से तनकी संख्या 1 से 3 बखुबी साबित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वर्तमान खसरा नम्बर 1377/746 के मूल खसरा नम्बर 746/1 रहे हैं तथा वादी का उक्त भूमि पर न तो पूर्व में कभी कब्जा काश्त रहा तथा ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। वर्तमान खसरा नम्बर 1377/746 के गत खसरा नम्बर 630/3 नहीं रहे है। जब प्रदर्श डी 14, एवं डी 10, डी 9 से यह साबित होता है कि वर्तमान खसरा नम्बर 1377/746 (मूल खसरा नम्बर 746/1) के गत खसरा नम्बर 630/1 रहे हैं अर्थात खसरा नम्बर 630/3 नहीं रहे है। भूमि खसरा नम्बर 1377/746 की भूमि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर कभी भी वादी को आवंटित भूमि का हिस्सा नहीं रही है। इसलिए वादी को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है। वादी ने भूमि खसरा नम्बर 1377/746 (जिसके मूल खसरा नम्बर 746/1 रहे है) के बाबत न्यायालय में एक दावा मु.नं. 5/4 उनवानी भोलाराम बनाम तहसीलदार बाबत घोषणार्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में पेश किया था, जिसमें वादी भोलाराम था जो इस वाद का भी वादी है एवं प्रतिवादी राज्य सरकार तहसीलदार था, इस वाद में भी पक्षकार है। वादी ने यह वाद केवल राज्य सरकार के विरूद्ध ही पेश किया था तथा वाद में प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र भी नोट प्रेस करते हुए खारिज करा लिया। बाद में प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश कर वाद में पक्षकार बना है। अर्थात वादी ने तो यह वाद भी उसी प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया है जिसके विरूद्ध पूर्व वाद संख्या 5/4 पेश किया था। पूर्व वाद संख्या 58/04 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2004 प्रदर्श डी–6 के द्वारा अंतिम रूप में निर्णित किया जा चुका है इस प्रकार यह वाद धारा 11 सीपीसी के द्वारा वर्जित की श्रेणी में आता है। वर्तमान खसरा नम्बर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1377/746 के मूल खसरा नम्बर 746/1 रहा है। वादी ने न्यायालय में एक दावा मु.नं. 5/04 उनवानी भोलाराम बनाम तहसीलदार बाबत घोषणार्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में पेश किया जिसमें तत्कालिन खसरा नम्बर 746/1 में से रकबा 0.04 हैक्टेयर की भूमि अपने नाम करवाने के लिए किया, जिसका निर्णय एवं डिक्री प्रदर्श डी–6 है जिसके अनुक्रम में भरे गये नामान्तकरण से राजस्व रिकार्ड कायम कर प्रदर्श डी 10 कायम किया गया जिसमें वादी को दी गई भूमि 0.04 हैक्टेयर कम करके मूल खसरा नम्बर 746/1 के नये खसरा नम्बर 1377/746 रकबा 0.52 हैक्टेयर कायम किये जो प्रदर्श डी–9 से साबित है। इस प्रकार उक्त समस्त दस्तावेजों से यह साबित है कि वर्तमान खसरा नम्बर 1377/746 के गत खसरा नम्बर 630/3 नहीं रहे है। जब प्रदर्श डी 14, एवं डी 10, डी 9 से यह साबित होता है कि वर्तमान खसरा नम्बर 1377/746 (मूल खसरा नम्बर 746/1) के गत खसरा नम्बर 630/1 रहे है अर्थात खसरा नम्बर 630/3 नहीं रहे है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय के यहां आराजी खसरा नम्बर 727 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 764 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1103/746 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1377/746 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर सरहद मौजा टोडी, तहसील उदयपुरवाटी के बाबत दावा किया और अनुतोष घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का चाहा। अपीलान्ट के उक्त दावा को विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 01.05.2017 को निर्णित कर खारिज किया।

पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1377/746 के मूल खसरा नम्बर 746/1 रहे हैं तथा वादी का उक्त भूमि पर न तो पूर्व में कभी कब्जा काश्त रहा तथा ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। वर्तमान खसरा नम्बर 1377/746 के गत खसरा नम्बर 630/3 नहीं रहे है। जब प्रदर्श डी 14, एवं डी 10, डी 9 से यह साबित होता है

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कि वर्तमान खसरा नम्बर 1377/746 (मूल खसरा नम्बर 746/1) के गत खसरा नम्बर 630/1 रहे हैं अर्थात खसरा नम्बर 630/3 नहीं रहे है। भूमि खसरा नम्बर 1377/746 की भूमि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर कभी भी वादी को आवंटित भूमि का हिस्सा नहीं रही है। इसलिए वादी को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है।

वादी ने भूमि खसरा नम्बर 1377/746 (जिसके मूल खसरा नम्बर 746/1 रहे है) के बाबत न्यायालय में एक दावा मु.नं. 5/4 उनवानी भोलाराम बनाम तहसीलदार बाबत घोषणार्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में पेश किया था, जिसमें वादी भोलाराम था जो इस वाद का भी वादी है एवं प्रतिवादी राज्य सरकार तहसीलदार था, इस वाद में भी पक्षकार है। वादी ने यह वाद केवल राज्य सरकार के विरूद्ध ही पेश किया था तथा वाद में प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र भी नोट प्रेस करते हुए खारिज करा लिया। बाद में प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश कर वाद में पक्षकार बना है। अर्थात वादी ने तो यह वाद भी उसी प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया है जिसके विरूद्ध पूर्व वाद संख्या 5/4 पेश किया था। पूर्व वाद संख्या 58/04 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2004 प्रदर्श डी–6 के द्वारा अंतिम रूप में निर्णित किया जा चुका है इस प्रकार यह वाद धारा 11 सीपीसी के द्वारा वर्जित की श्रेणी में आता है। वर्तमान खसरा नम्बर 1377/746 के मूल खसरा नम्बर 746/1 रहा है।

वादी ने न्यायालय में एक दावा मु.नं. 5/04 उनवानी भोलाराम बनाम तहसीलदार बाबत घोषणार्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में पेश किया जिसमें तत्कालिन खसरा नम्बर 746/1 में से रकबा 0.04 हैक्टेयर की भूमि अपने नाम करवाने के लिए किया, जिसका निर्णय एवं डिक्री प्रदर्श डी–6 है जिसके अनुक्रम में भरे गये नामान्तकरण से राजस्व रिकार्ड कायम कर प्रदर्श डी 10 कायम किया गया जिसमें वादी को दी गई भूमि 0.04 हैक्टेयर कम करके मूल खसरा नम्बर 746/1 के नये खसरा नम्बर 1377/746 रकबा 0.52 हैक्टेयर कायम किये जो प्रदर्श डी–9 से साबित है। इस प्रकार उक्त समस्त दस्तावेजों से यह साबित है कि वर्तमान खसरा नम्बर 1377/746 के गत खसरा नम्बर 630/3 नहीं रहे

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। जब प्रदर्श डी 14, एवं डी 10, डी 9 से यह साबित होता है कि वर्तमान खसरा नम्बर 1377/746 (मूल खसरा नम्बर 746/1) के गत खसरा नम्बर 630/1 रहे है अर्थात खसरा नम्बर 630/3 नहीं रहे है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 4/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)